Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

40-2016/Ext.]□□□CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016 (PHALGUNA 26, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th March, 2016

No. 5-HLA of 2016/9.— The Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 5- HLA of 2016

THE FACTORIES (HARYANA AMENDMENT)

BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Factories Act, 1948, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Factories (Haryana Amendment) Act, 2016. Short title.

2. In clause (m) of section (2) of the Factories Act, 1948 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 2 of Central Act 63 of 1948.

(i) in sub-clause (i), for the word “ten”, the word “twenty” shall be substituted; and

(ii) in sub-clause (ii), for the word “twenty”, the word “forty” shall be substituted.

3. In clause (iv) of sub-section (3) of section 65 of the principal Act, for the words and sign “seventy five”, the words “one hundred and fifty” shall be substituted. Amendment of section 65 of Central Act 63 of 1948.

Amendment of section 85 of Central Act 63 of 1948.

4. In clause (i) of sub-section (1) of section 85 of the principal Act, for the words "ten" and "twenty", the words "twenty" and "forty" shall be substituted respectively.

Amendment of section 105 of Central Act 63 of 1948.

5. For sub-section (1) of section 105 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on complaint by an Inspector with the previous sanction in writing of the Chief Inspector.".

Insertion of section 106B in Central Act 63 of 1948.

6. After section 106A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"106B. Compounding of offences.- The Inspector may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only, and committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence, and where the offence is so compounded,-

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Factories Act was enacted in 1948. Its main objective is to ensure the adequate Safety, Health and Welfare of the workers employed in factories.

In the present scenario of Haryana, small scale industries employing less than 20 numbers of workers engaged in manufacturing process with the aid of power (electric power) and 40 numbers of workers without the aid of power, feel uncomfortable to fulfill and comply with the provisions of the Factories Act, 1948. These small scale industries are not able to work efficiently due to various constraints such as labour laws, finance, skilled man power technology etc. In order to release the burden of these small scale industries, the factories having less number of workers may be exempted from the preview of the Factories Act, 1948. It is proposed that the factory having 20 numbers of workers with aid of power and 40 numbers of workers without the aid of power may be exempted from the definition of Factories Act, 1948. For this purpose the amendment in the definition of the factory under sections 2(m)(i) & 2(m)(ii) of the Factories Act, 1948 are required.

The orders for supplying the goods are time bound and the factories are to supply the required goods well before the targeted time and it is the need of the hour to increase the overtime working hours of the factories so that the factories may achieve their targets and fulfill the orders within specified time frame and therefore it is proposed to amend the clause (iv) of sub-section 3 of section 65 of the Factories Act, 1948.

For the cognizance of any offence punishable under the Act, the Occupier or Manager of the factory has to appear before the Court of law for the offences mentioned in the complaint. On pleading guilty, Court imposes penalty on the facts and circumstances of the case. New factories which are not aware of the bylaws of Factories Act, 1948 and Rules framed thereunder got penalized under section 92 of Factories Act, 1948. Under this section the provision of imprisonment for a term which may be extended upto two years or with a fine which may be extended to rupees one lac or with both and if a contravention is continued after conviction the fine may be extended to one thousand rupees for each day on which the contravention of the offence is so continued. The court proceedings are time consuming and expensive. In order to reduce the litigations and to provide the relief to the factories who have committed the offence for the first time may be given opportunity for compounding their offences at Department level instead of going to Court. For these purpose amendments/substitutions under section 105, 106A & 106B of the Factories Act, 1948 are required.

Thus in the view of above and to achieve the object of ease of doing business it has become essential to carry out the above necessary amendments.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Labour & Employment Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 16th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 5–एच.एल.ए.

कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016
कारखाना अधिनियम, 1948, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम कारखाना (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 2 का संशोधन।

2. कारखाना अधिनियम, 1948 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (ड) में,–

(i) उप–खण्ड (i) में, ''दस'' शब्द के स्थान पर, ''बीस'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) उप–खण्ड (ii) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर, ''चालीस'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 65 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 65 की उप–धारा (3) के खण्ड (iv) में, ''पचहत्तर'' शब्द के स्थान पर, ''एक सौ पचास'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 85 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (1) के खण्ड (i) में, ''दस'' तथा ''बीस'' शब्दों के स्थान पर, क्रमशः ''बीस'' तथा ''चालीस'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 105 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 105 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1) कोई भी न्यायालय, मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्व स्वीकृति से निरीक्षक द्वारा शिकायत के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।''।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 106ख का रखा जाना।

6. मूल अधिनियम की धारा 106क के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''**106ख. अपराधों का प्रशमन**.– निरीक्षक, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय और प्रथम बार किए गए किसी अपराध का, या तो अभियोजन के संस्थित से पूर्व या के बाद, प्रशमन फीस की ऐसी राशि, जैसा वह उचित समझे, की वसूली पर जो अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम राशि से अधिक न हो, प्रशमन कर सकता है तथा जहां अपराध इस प्रकार प्रशमित किया गया है,–

(i) अभियोजन के संस्थित से पूर्व, अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन हेतु दायी नहीं होगा तथा यदि वह हिरासत में है, तो मुक्त किया जाएगा;

(ii) अभियोजन के संस्थित के बाद, प्रशमन अपराधी की विमुक्ति के बराबर होगा।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

कारखाना अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था, इसके मुख्य उद्देश्य कारखानों में नियोजित कर्मकारों को पर्याप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को सुनिश्चित करना है।

हरियाणा के वर्तमान दृश्यलेख में, लघु उघोगों में विद्युत की सहायता (इलैक्ट्रिक विद्युत) से विनिर्माण प्रक्रिया में लगाए गए कर्मकारों की संख्या 20 से कम तथा विद्युत की सहायता के बिना कर्मकारों की संख्या 40 से कम का नियोजन कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबन्धों को पूरा करने तथा अनुपालन करने में असुविधाजनक है। ये लघु उद्योग विभिन्न प्रतिबन्धों जैसे कि श्रम कानूनों , वित्त, निपुण मानव शक्ति प्रौद्योगिकी इत्यादि के कारण दक्ष रूप से कार्य करने के योग्य नहीं हैं। इन लघु उद्योगों को भारमुक्त करने के उद्देश्य से कर्मकारों की कम संख्या रखने वाले कारखानों को कारखाना अधिनियम, 1948 के पूर्वदर्शन से छूट दी जा सकती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि विद्युत की सहायता से 20 कर्मकारों की संख्या तथा विद्युत की सहायता के बिना 40 कर्मकारों की संख्या रखने वाले कारखाने को कारखाना अधिनियम, 1948 की परिभाषा से छूट प्रदान की जाए। इस प्रयोजन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(ड) (i) तथा 2(ड) (ii) में कारखाने की परिभाषा में संशोधन करना आवश्यक है।

माल की आपूर्ति करने के लिए आदेश समयबद्ध है तथा लक्षित समय से ठीक पहले कारखानों में अपेक्षित माल की आपूर्ति करना अपेक्षित है तथा कारखानों के अधिक समय कार्य घण्टों में बढ़ोतरी करना समय की आवश्यकता है ताकि कारखाने अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आदेशों को पूरा कर सकें तथा इसलिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 65 की उपधारा 3 के खण्ड (iv) में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है।

अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के संज्ञान के लिए, कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक को शिकायत में वर्णित अपराध के लिए विधि न्यायालय के समक्ष पेश होना पड़ता है। दोषी की वकालत पर न्यायालय मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर शासित अधिरोपित करता है। नए कारखाने जो कारखाना अधिनियम, 1948 की उपविधियों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के जानकार नहीं हैं उन्हें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 के अधीन दण्डित किया जाता है। इस धारा के अधीन कारावास की अवधि का उपबन्ध जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डित हो सकता है तथा यदि दोषसिद्धि के बाद उल्लंघन जारी रहता है, तो जुर्माना प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक हो सकता है जिसको अपराध का उल्लंघन इस प्रकार जारी रहता है। न्यायालय कार्यवाही में समय नष्ट होता है तथा यह खर्चीला भी है। वाद को कम करने तथा कारखानों को राहत मुहैया कराने के उद्देश्य से जिन्होंने प्रथम बार के लिए अपराध किया है को न्यायालय में जाने की बजाय विभागीय स्तर पर उनके अपराधों के प्रशमन के लिए अवसर दिया जा सकता है। इन प्रयोजनों के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 105, 106 क तथा 106 ख में संशोधन/प्रतिस्थापन करना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत तथा कारोबार करने की सुगमता के उद्देश्य से इसे प्राप्त करने के लिए उपरोक्त आवश्यक संशोधन करने अनिवार्य हो गए हैं।

कैप्टन अभिमन्यु,
श्रम एवं रोजगार मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

54151—H.V.S.—H.G.P., Chd.